संख्या-1471 /XIII-I/2013-5(23)2010

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 06 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2013

विषयः सी-डैप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम-जिला योजनान्तर्गत बजट अवमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के पत्र सं0-कृ0नि0/6984/लेखा-बजट/सी0डैप0/2013-14 दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)//2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, सं0-668/XXVII(1)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 तथा शासनादेश सं0-877/XIII-1/2013-5(23)2010 दिनांक 03 जून, 2013, सं0-859/XIII-1/2013-5(23)2010 दिनांक 20 जून, 2013 एवं 1059/XIII-1/2013-5(23)2010 दिनांक 05 अगस्त, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में सी-डैप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम-जिला योजना के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान में प्राविधानित रू0 85.34 लाख (रूपये पिचासी लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख में)

क0	जनपद	अनुदान सं0-17 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-800- अन्य योजनाएं-91-जिलायोजना-01-सी-डैप आधारित विकास कार्यक्रम-20- सहायक अनुदान	अनुदान सं0-30 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-800-अन्य योजनाएं-91-जिलायोजना-01-सी-डैप आधारित विकास कार्यक्रम-20-सहायक अनुदान	कुल राशि
1	नैनीताल	25.66	1.93	27.59
2	उधमसिंह नगर	18.75	—	18.75
3	अल्मोड़ा	30.96	8.04	39.00
	योगः	75.37	9.97	85.34

(रूपये पिचासी लाख चौंतीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र मुख्य कृषि अधिकारियों को व्यय हेतु इस प्रतिबन्ध के अधीन अवमुक्त कर दी जाय कि वे इसका उपयोग कृषि निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह की प्रगति अगले माह की दस तारीख तक अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

3- स्वीकृति धनराशि का उपयोग शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमों/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

4- बजट मैनुवल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-13 पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत उपरोक्त प्रसार–1 की तालिकानुसार लेखाशीर्षक–2401 की 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शा0सं0–183/XXVII(1)//2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 व्यवस्था के कम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट हेतु निर्गत संलग्न विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 एवं वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–89 (P)/XXVII(4)/2013 दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–147/XIII-1/2013–5(23)2010/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमाऊं मंडल, नैनीताल।
4. कृषि निदेशक उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
8. मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, नैनीताल/उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव